(c) and (d) Do not arise.

दिल्ली में शिक्षा सुविधाओं का विस्तार

2002. **श्री भीकू राम जैन : क्या शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में स्कूलों की संख्या में वृद्धि करने और शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने के लिए वर्ष 1981-82 के दौरान की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस समय राजधानी में कितने स्कूल हैं ; और

(ग) वर्तमान स्कूलों में शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने के लिए नए सैक्शनों को खोलने और इस बारे में राजधानी की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 1981–82 के दौरान 45 नये स्कूल खोले गये । दो शाखाओं में विभाजित किए गए माध्यमिक/सीनियर माध्यमिक तक स्तरोन्नत किये गये हैं । इसके अतिरिक्त विद्यमान स्कूलों में 575 सैक्शन बढ़ाये गये । दिल्ली नगर निगम ने उक्त अवधि के दौरान अपने क्षेत्राधिकार में 25 नये प्राथमिक स्कूल खोले । इसके अतिरिक्त, उन्होंने विद्यमान स्कूलों में 360 अतिरिक्त सैक्शन बढ़ाये हैं ।

उक्त अवधि के दौरान, दिल्ली में 4 केन्द्रीय विद्यालय खोले गये थे ।

प्रत्येक वर्ष दाखिले के आधार पर किसी भी स्कूल में नये सैक्शन खोलने की जांच की जाती है तथा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अध्यापन-स्टाफ के पदों का निर्धारण किया जाता है । तथापि, बढ़ते हुए दाखिले की मांग को पूरा करने के लिए प्रत्येक वर्ष संघ शासित क्षेत्र में या तो नये स्कूल खोलकर अथवा विद्यमान स्कूलों में नए सैक्शन खोलकर इस प्रयोजन के लिए आवंटित निधि के अन्तर्गत स्कूल की सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है ।

गुणात्मक सुधार के लिए अध्यापकों के लिए सतत् सेवाकालीन प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किये जाते हैं तथा निरीक्षण तंत्र में तेजी लाई गई है ।

(ख) दिल्ली में स्कूलों की संख्या निम्नलिखित है :

मिडिल	327
माध्यमिक	206
सीनियर माध्यमिक	509

इसके अतिरिक्त, दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर पालिका/छावनी बोर्ड द्वारा चलाये जा रहे प्राथमिक स्कूलों की संख्या नीचे दी गई है :

दिल्ली नगर निगम	1512
नई दिल्ली नगर पालिका	64
छावनी बोर्ड	6

टुंडला से गायों को हावड़ा ले जाना

2003. **श्री दया राम शाक्य : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 दिसम्बर, 1981 को टुंडला रेलवे स्टेशन, उत्तर रेलवे,

के स्टेशन सुपरिंटेंडेंट ने अपने किसी व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारी (एसिस्टेंट कमर्शियल सुपरिंटेंडेंट) के आदेशों का उल्लंघन करते हुए टुंडला से हावड़ा के लिये गायों को ले जाने के लिए चार वैगन बुक किये थे ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में लागू कानून के अन्तर्गत गायों को राज्य से बाहर ले जाया जा सकता है ;

(ग) क्या डी० एच० ओ०, आगरा वेटेनियरी अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल किये जाने के बाद ही इन्हें भेजने के लिए अनुमति लेने की भी आवश्यकता पड़ती है ; और

(घ) क्या भेजने के समय प्रत्येक गाय के लिए पृथक प्रमाण-पत्र देने की भी आवश्यकता होती है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सिविल प्रतिबन्धों के बावजूद तारीख 16-12-1981 को टुण्डला से हावड़ा तक मवेशी (गायों) के चार माल डिब्बे बुक किये गये थे जिसके लिए बुकिंग लिपिक के विरुद्ध राज्य रेलवे पुलिस द्वारा एक मामला दर्ज किया गया है ।

(ख) जी हां । इसके लिए प्राधिकृत मवेशी विकास अधिकारी द्वारा जारी किये गये परमिट के अन्तर्गत ।

(ग) इस अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।

(घ) जी हां ।

Cheques Stolen from Headquarters of Indian Red Cross Society

2004. SHRI NIHAL SINGH: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in 1975 some cheques were stolen from the headquarters of the Indian Red Cross Society and about Rs. 52,000/- was withdrawn from the State Bank of India from its Parliament Street Branch and the bank has made provisional payment to the Society;

(b) whether it is a fact that one of the employees who was alleged to be involved in this fraud has honourably been acquitted by the New Delhi Court; and

(c) if so, what action State Bank of India, New Delhi has taken for recovering Rs. 52,000/- from the Indian Red Cross Society and what action Society has taken against those officials against whom the Court has made strictures in the judgement?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) 8 blank cheques were found missing from the headquarters office of the Indian Red Cross Society in March, 1975. It was discovered that 6 out of the 8 missing cheques of a total value of Rs. 50,100/- had been encashed by forging the signature of the Secretary General. The State Bank of India had provisionally paid to the Society Rs. 50,100/- which was withdrawn from the account of the Society under forged signature.

(b) An employee of Indian Red Cross Society who was involved in it was convicted by the Trial Court. But on appeal the conviction was set aside by the Additional Session Judge, New Delhi.

(c) The Indian Red Cross Society has intimated that no action has been taken by the State Bank of India, New Delhi for the recovery of the amount